न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 305/2016

बउनवान

मनोज पुत्र श्री देवीदत्त गाडिया जाति–महाजन निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 06.02.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.7.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 693, 673, 675 रकबा 0.42 हैक्टर पर ईट भट्टा लगा अकृषि कार्य करने के लिये सम्वत् 2071 में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 7875/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। [illegible] रेकार्ड पर न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पत्रावली [illegible] पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में विधिक [illegible] की है। अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये एकरतफा साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी [illegible] अतिक्रमण प्रमाणित नहीं है, निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का खाते की आराजी पर ईट भट्‌टा संचालन किया हुआ है जिसमें कुछ आराजी सरकारी आ रहीं थी, जानकारी होने पर उक्त आराजी से ईट भट्‌टा हटा लिया है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि खाली पडी हुई है। अब अपीलांट विवादित आराजी पर कभी भी स्वंय अथवा अन्य के माध्यम से कभी भी अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध रहेगा। इस बाबत अन्डरटेंकिग भी पेश की। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात्‌ व बेदखलीनामा नहीं है। विधि का सिद्धान्त है कि यदि पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी है तो घटनाबहीं, बेदखलीनामा, साक्ष्य, बयान व पूर्व निर्णय की प्रति पत्रावली शामिल करना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्‌वर्ती बाबत कोई दस्तावेजात नहीं है। विवादित आराजी से अपीलांट का अतिक्रमण हट चुका है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्‌टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर मि0नं0 674/10 निर्णय दिनांक 12.4.2010 से बेदखल किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा जानकारी होने पर उसने अतिक्रमण व ईट भट्‌टा हटा लिया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलांट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व उचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया है। किन्तु अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने से पूर्व पत्रावली पर पश्चात्‌वर्ती बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात्‌ को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है। चूकि अपीलांट का कथन है कि उसने उक्त आराजी से ईट भट्‌टा हटा लिया है तथा भविष्य में कभी अतिचार नहीं करेगा। अपने कथन के समर्थन में अण्डरटेंकिग भी पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला ...
बारां (राज०)

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.7.2015 से दी गयी सिविल कारावास की की सजा माफ की जाती है। शेष बेदखली, जप्ती एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested